148/2016

8.1.25 पत्रावली पेश हुई।

वादीगण के वकील उपस्थित।

वादीगण के वकील ने प्रार्थना पत्र मय संशोधित शीर्षक प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 7 जयसिंह फौत हो चुके है, जिनके वारिस रोजकंवर पत्नी जयसिंह श्रवणकंवर पुत्री जयसिंह एवं चुतरसिंह पपूसिंह पि. जयसिंह है। अतः जयसिंह के स्थान पर उनके वारिसान को रेकर्ड पर लिया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चुंकि प्रतिवादी सं. 7 जयसिंह फौत हो चुके है, जिनके वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है।

अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 7 जयसिंह के वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु प्रस्तुत संशोधित शीर्षक रिकार्ड पर लिया जाता है। चूंकि पूर्व में प्रतिवादी सं. 7 की तलवी पूर्व में हो चुकी है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 7 के कायम मुकाम की पुनः नये सिरे से तलवी कार्यवाही अपनाई जाना न्यायाचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः पत्रावली वास्ते बहस आईन्दा 14.01.2025 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:08:13 IST
Reason: SelfAttested

14.01.2025 पत्रावली पेश हुई।

वादीगण के वकील उपस्थित।

बहस सुनी गई।

वकील वादीगण की बहस है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 10 की पुश्तैनी सम्पति की भूमि खसरा संख्या 102,104,222 व 229 कुल रकबा 643.03 बीघा ग्राम एड मानजी तहसील सिणधरी, खसरा संख्या 115 रकबा 164.00 बीघा ग्राम डाभड़ भाटियान तहसील सिणधरी एवं खसरा संख्या 106 व 106/2 कुल रकबा 28.15 बीघा ग्राम एड सिणधरी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त पक्षकार मुतवफी आईदानसिंह के वारिस है, जिनके तीन पुत्र– वादीगण के पूर्वपुरूष हुकमसिंह, प्रतिवादी सं. 1 से 5 के पूर्वपुरूष गुमानसिंह तथा प्रतिवादी सं. 6 से 11 के पूर्वपुरूष जोरसिंह–थे। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा वादीगण का, 1/3 हिस्सा प्रतवादी सं. 1 से 5 का तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 6 से 11 का है। इसी अनुसार पक्षकार वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वक्त बन्दोबस्त उक्त संयुक्त परिवार का कर्ताखानदान गुमानसिंह का पुत्र बलवंतसिंह होने से खसरा संख्या 115 की भूमि का पर्चालगान अपने अकेले के नाम एवं खसरा संख्या 106 व 106/2 का पर्चालगान अपने पुत्र प्रतिवादी सं. 1 दुर्गसिंह के नाम दर्ज करवा दिया, जबकि समग्र वादग्रस्त भूमि में आईदानसिंह के तीनों पुत्रों में से प्रत्येक का परिवार 1/3–1/3 हिस्से पर वक्त बन्दोबस्त से काबिज चला आ रहा है। अतः वादीगण वादग्रस्त खसरा संख्या 115,106 व 106/2 की भूमि में स्वयं एवं प्रतिवादी सं. 6 से 11 को सहखातेदार

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

घोषित करवाते हुए 1/3–1/3 हिस्सा प्रत्येक थौक की खातेदा... इन्द्राज करवाते हुए उक्त भूमि में से अपने 1/3 हिस्से की भूमि मालि... कब्जा काश्त पृथक करवाने के अधिकारी है।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनंन एवं पत्रावली पर उपलब्ध गवाहान दीपसिंह पी.डब्ल्यु–01, रूपाराम पी.डब्ल्यु–02, पदमाराम पी.डब्ल्यु–03 एवं अनाराम पी.डब्ल्यु–04 के शपथपत्रों एवं दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। वादपत्र में अंकित वंशवृक्ष एवं वादग्रस्त भूमि के बन्दोबस्त रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 11 मुतवफी आईदानसिंह के वारिस एवं एक ही वंश के सदस्य है। मौखिक साक्ष्य में प्रस्तुत शपथपत्रों से वादग्रस्त भूमि के 1/3–1/3 हिस्से पर प्रत्येक थौक का कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है। खसरा संख्या 104,222 एवं 102 की खतौनी बन्दोबस्त में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 11 का संयुक्त परिवार होना एवं तीनों परिवारों का बहिस्सा बराबर हक होना स्पष्ट है। ऐसी सूरत में खसरा संख्या 115,106 व 106/2 में प्रत्येक थौक का 1/3–1/3 विभाजित किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। वादी वकील द्वारा अपने वाद के तथ्यों में प्रस्तुत विभाजन की इस्तदुआ को डिक्री किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकार किया जाकर वाद से विभाजन की इस्तदुआ को जरिये डिक्री के निरस्त किया जाता है।

लिहाजा वादीगण का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम डाभड़ भाटियान तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 115 रकबा 164.11 बीघा तथा ग्राम एड सिणधरी की खसरा संख्या 106 व 106/2 कुल रकबा 28.15 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 6 से 11 को प्रतिवादी सं. 1 से 5 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। शेष बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी सं. 1 से 5 के विरूद्ध वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 6 से 11 के कब्जाकाश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 14.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:08:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मूलवाद में प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर,सिणधरी

पीठासीन अधिकारीः—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

उनवान

वादीगण

1. दीपसिंह पुत्र हुक्मसिंह
2. हीरसिंह पुत्र मगलसिंह
3. श्रीमति देशकवर पत्नि मगलसिंह
4. चेनसिंह पुत्र मलसिंह
5. शेरसिंह पुत्र मलसिंह
6. श्रीमति केकूकंवर पत्नि मलसिंह जाति राजपूत निवासी एडसिणधरी तहसील सिणधरी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. दुर्गसिंह पुत्र बलवन्तसिंह
2. सांवतसिंह पुत्र बलवन्तसिंह
3. हरिसिंह पुत्र बलवन्तसिंह
4. कमलसिंह पुत्र बलवन्तसिंह
5. विजयकवंर पत्नी बलवन्तसिंह
6. खेतसिंह पुत्र जोरसिंह
7. जयसिंह पुत्र जोरसिंह के कायम मुकाम
   7/1 चुतरसिंह पुत्र जयसिंह
   7/2 पपुसिंह पुत्र जयसिंह
   7/3 श्रवणकवर पुत्री जयसिंह
   7/4 सेजकवर पत्नी जयसिंह
8. तेजसिंह पुत्र जुगतसिंह
9. निर्मलसिंह पुत्र जुगतसिंह
10. प्रतापसिंह पुत्र जुगतसिंह
11. श्रीमति बालकंवर पत्नी जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी डाबड़ भाटियान तहसील सिणधरी
12. तहसीलदार सिणधरी
13. मैनेजर, थार आचलिक ग्रामीण बैंक सिणधरी

दावा बाबतः—88,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर :— 148/2016
निर्णय दिनांक :—14.01.2025

वादीगण की ओर से श्री रामजीवन विशनोई, प्रतिवादी सं. 12 के पैरोकार सरकार की उपस्थिति एवं शेष की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.01.2025 को **श्री जगदीश सिंह आशिया** (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर सिणधरी के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक **डिक्री दी जाती है किः**— वादीगण का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम डाभड़ भाटियान तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 115 रकबा 164.11 बीघा तथा ग्राम एड सिणधरी की खसरा संख्या 106 व 106/2 कुल रकबा 28.15 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 6 से 11 को प्रतिवादी सं. 1 से 5 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। शेष बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी सं. 1 से 5 के विरूद्व वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 6 से 11 के कब्जाकाश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

यह आज तारीख 14.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:08:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner